भारत में कार्ड टोकनाइज़ेशन

[स्रोत: बिज़िनेस लाइन](#)

कार्ड टोकनाइज़ेशन भारत में एक **महत्त्वपूर्ण तकनीकी प्रगति** बन गया है, जो डिजिटल भुगतान में **सुरक्षा और ग्राहक सुविधा** को बढ़ाता है।

- दिसंबर 2024 तक **91 करोड़ से अधिक टोकन जारी** किये गए और **लगभग 98%** ई-कॉमर्स **लेनदेन** को वास्तविक कार्ड डेटा के बिना संसाधित करने में सक्षम बनाया गया, जिससे **डेटा उल्लंघनों का जोखिम कम** हो गया।
- **टोकनाइज़ेशन:** यह वास्तविक कार्ड विवरण के स्थान पर एक **अद्वितीय कोड या "टोकन"** देता है, जो लेनदेन के दौरान एक **सुरक्षित पहचानकर्त्ता** के रूप में कार्य करता है।
  - **प्रकार: डिवाइस टोकेनाइज़ेशन** (प्रत्येक **डिवाइस** के लिये विशिष्ट) और **कार्ड-ऑन-फाइल टोकेनाइज़ेशन (**प्रत्येक **व्यापारी** के लिये विशिष्ट) ।
  - **सुरक्षा लाभ:** टोकन व्यापारियों को **संवेदनशील कार्ड विवरण** संग्रहीत करने से **रोकते हैं,** तथा सुरक्षा भंग होने की स्थिति में ग्राहकों की जानकारी सुरक्षित रखते हैं।
  - **भावी विस्तार:** टोकनाइज़ेशन के **ई-कॉमर्स से आगे बढ़कर** संपर्क रहित भुगतान, आवर्ती लेनदेन और संभावित रूप से **UPI-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड भुगतान** तक बढ़ने की उम्मीद है।
  - **साइबर सुरक्षा विनियम: अक्तूबर 2022** में, RBI ने आदेश दिया कि **व्यापारी और भुगतान प्रोसेसर** अब ग्राहक कार्ड डेटा संग्रहीत नहीं करेंगे, पूरी तरह से टोकनाइज़ेशन पर निर्भर रहेंगे।

और पढ़ें: भारत में कार्डों का टोकनाइज़ेशन

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/card-tokenization-in-india